

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 13/23

तारीख दायर 31/03/23  
फैसल ता. 31/03/23

1- शान्ती देवी पत्नी नानालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. कालू पुत्र किशना जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
2. मोडी पत्नि स्व. किशना जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रमेशचन्द्र पुत्र धूला जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) जरीये अध्यक्ष तिलस्वां महादेव मन्दिर ट्रस्ट
4. केसर देवी पत्नी जयकिशन जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. जेती बाई पत्नी उदयलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. राधा देवी पत्नि माधवलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. रियासत हुसैन पुत्र करामत हुसैन जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी सिंगोली तहसील जावद जिला नीमच (म.प्र.)
8. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:—आदेश:—

दिनांक

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री शान्ती देवी धाकड़ ने जरिये अभिभाषक श्री ओमप्रकाश धाकड़ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 311 पर अंकित आराजी संख्या 947/94 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, आराजी संख्या 986/94 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 988/94 रकबा 0.2833 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 311 पर अंकित आराजी संख्या 947/94 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, आराजी संख्या 986/94 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 988/94 रकबा 0.2833 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की वाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 19/23

तारीख दायर - 31/03/23

प्रेषिति :-

फाइल नं० - 31/03/23

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 19/2023 ..... पत्थरगढी बाबत।


- 1- शान्ती देवी पत्नी नानालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0  
प्रार्थीया
- बनाम
1. कालू पुत्र किशना जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0
  2. मोडी पत्नि स्व. किशना जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
  3. रमेशचन्द्र पुत्र धूला जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.) जरीये अध्यक्ष तिलस्वां महादेव मन्दिर ट्रस्ट
  4. केसर देवी पत्नी जयकिशन जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
  5. जेती बाई पत्नी उदयलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
  6. राधा देवी पत्नि माधवलाल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी तिलस्वां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
  7. रियासत हुसैन पुत्र करामत हुसैन जाति मुसलमान उम्र वयस्क निवासी सिंगोली तहसील जावद जिला नीमच (म.प्र.)
  8. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार साहब बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम तिलस्वां तहसील बिजौलिया की सरहद में खाता संख्या 311 पर अंकित आराजी संख्या 947/94 रकबा 0.5099 हैक्टेयर, आराजी संख्या 986/94 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी संख्या 988/94 रकबा 0.2833 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ